न्यायालय कलेक्टर जिला अशोकनगर (म0प्र0)

प्रकरण कमांक /272/अ-20(3)/2022-23

//आदेश//

(दिनांक 12/06/2023 को पारित)

कार्यालय वनमण्डाधिकारी सामान्य वन मण्डल जिला अशोकनगर द्वारा, राजघाट जलजीवन मिशन में वन विभाग की भूमि जाने से उसके बदले में वन विभाग को भूमि हस्तांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र पेश कर, आवेदन पत्र में पटवारी हल्का बल्देवपुर, ग्राम बघनरी स्थित राजस्व भूमि सर्वे नं. 536 रकवा 3.240 है0, 538 रकवा 5.226 है0 कुल किता 02 रकवा 8.466 है0 भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये की मांग की गई है।

पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन दिनॉक 26.04.2023 से ग्राम बघनरी स्थित शासकीय भूमि सर्वे नं. 536 रकवा 3.240 है0 व 538 रकवा 5.226 है0 नोईयत पठार भूमि को वन विभाग के लिये हस्तांतरित की जाने की अनुशंसा की गई है।

तहसीलदार ईसागढ़ द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनॉक 28.04.2023 में उल्लेख किया है कि, ग्राम बघनरी स्थित शासकीय भूमि सर्वे नं. 536 रकवा 3.240 है0 व 538 रकवा 5.226 है0 नोईयत पठार भूमि को वन विभाग के लिये हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित उपरोक्त भूमि के हस्तांतरण से ग्राम की निस्तार भूमि पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा, भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ़ द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनॉक 09.06.2023 में प्रतिवेदित किया है कि, ग्राम बघनरी स्थित भूमि सर्वे नं. 536 रकवा 3.240 है0 व 538 रकवा 5.226 है0 नोईयत पठार भूमि को वन विभाग के लिये हस्तांतरण बावत विधिवत ऑनलाईन विज्ञप्ति जारी कर, स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया, अन्दर म्याद कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। ग्राम बघनरी स्थित भूमि सर्वे नं. 536 रकवा 3.240 है0 व 538 रकवा 5.226 है0 नोईयत पठार भूमि को वन विभाग के लिये हस्तांतरण किये जाने की अनुशंसा की गई है।

तहसीलदार ईसागढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी ईसागढ के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। राजघाट जल जीवन मिशन में वन विभाग की भूमि जाने से उसके बदले में वन विभाग को भूमि सर्वे नं. 536 रकवा 3.240 है0 व 538 रकवा 5.226 है0 कुल किता 02 रकवा 8.466 है0 नोईयत पठार को, वन विभाग (म0प्र0 शासन) को हस्तांतरित किये जाने हेतु जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा सहमति दी गई है। उपरोक्त भूमि म0प्र0भू0रा0सं0 1959 की धारा 233 एवं 237 के प्रावधान अनुसार भूमि को वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है। वन विभाग द्वारा आवेदित भूमि का उपयोग वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये किया जायेगा। उक्त भूमि का उपयोग नियत प्रयोजन किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

अतः यह प्रकरण समाप्त किया जाता है। प्रकरण आरसीएमएस एवं दायरा अंक से कम होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

कलेक्टर

जिला अशोकनगर (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

पृष्ठा.प्रकरण क्रमांक /272 /अ-20(3)/ 2022-23 अशोकनगर दिनॉक 12 /06 / 2023

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव महोदय, म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त महोदय, ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग ईसागढ़ की ओर सूचनार्थ।
5. तहसीलदार तहसील ईसागढ़ की ओर सूचनार्थ, पटवारी अभिलेख में अमल कराकर खसरा प्रतिलिपि प्रस्तुत करें।
6. नजूल शाखा जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर

जिला अशोकनगर (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner